

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2015—फाल्गुन 8, शक 1936

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्र. एफ-23-12-2004-सामा.-उन्नीस.—मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय पथकर अधिनियम 1851 (1851 का सं. 8 की धारा 2 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, देवास जिले में देवास बायपास मार्ग के निर्माण के लिये एवं इसके और संबंधित मार्ग के रख-रखाव (बी.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत निर्मित) हेतु मेसर्स अशोका इन्फ्रावे प्रायवेट लिमिटेड रिक्कर व्यू नाशिक एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, देवास के मध्य सम्पादित अनुबंध के आधार पर पथकर अधिग्रहण की स्वीकृति प्रदान करता है. निजी निवेशकर्ता मेसर्स अशोका इन्फ्रावे प्रायवेट लिमिटेड रिक्कर व्यू नाशिक अथवा उनके अधिकृत एजेंट को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-23-12-2004-सामा.-उन्नीस, दिनांक 27 जनवरी 2000 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से पथकर उद्ग्रहण हेतु प्राधिकृत करता है, द्वितीय अनुसूची अनुसार पथकर की दर निम्नानुसार है:—

द्वितीय अनुसूची

क्र.	वाहन का प्रकार	दिनांक 18-02-2015 से दि. 31-03-2015 तक पथकर की प्रभावशील दरें (रूपयों में)	दिनांक 01-04-2015 से दि. 24-08-2015 तक पथकर की प्रभावशील दरें (रूपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	टैम्पो, टैक्सी, मिनी बस, मेटाडोर, भारी स्टेशन वैगन या उसके समकक्ष वाहन.	49.00	61.00
2.	प्रायवेट कार, जीप पिकअप	30.00	38.00
3.	खाली ट्रक, बस भारी एवं खाली.	71.00	89.00
4.	ट्रक लोडेड	109.00	136.00

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	मल्टी एक्सल ट्रक, ट्रेलर	146.00	183.00
6.	अर्थ मूविंग मशीनरी (प्रतिटन)	14.00	18.00

2. किसी एक वाहन से टोल प्लाजा पर 24 घंटे में (अर्थात् 6.00 बजे प्रातः से दूसरे दिन 6.00 बजे प्रातः तक) केवल एक बार पथकर लिया जावेगा।

3. यह अधिसूचना बायपास पथ के किलोमीटर 11 पर टोल प्लाजा के लिये प्रभावशील होगी।

4. इस मार्ग का एवं अन्य मार्गों का रख-रखाव अनुबंध में प्रावधान अनुसार तथा इस विभाग के पत्र क्रमांक-एफ-23-12-2004-सा.-उन्नीस, दिनांक 22 मई 2004 में निहित निर्देशानुसार किया जावेगा।

5. अधिसूचना में उल्लेखित मार्गों पर राज्य शासन द्वारा पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त वाहनों की सूची अनुबंध में संलग्न तृतीय सूची (प्रपत्र-3) अनुसार होगी।

6. यह अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2015 से प्रभावशील होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

तृतीय अनुसूची प्रपत्र-3

पथकर वाले पुलों को पार करते समय राज्य शासन द्वारा पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त वाहनों की सूची

टीपः—पथकर के भुगतान के छूट प्राप्त वाहन चालक अपना पद तथा यात्रा के प्रयोजन का उल्लेख करेगा और यदि वह साक्षर है, तो ऐसा लिखित रूप में करेगा।

भाग—1

कार्यपालन यंत्रि से स्थायी पास प्राप्त किये बिना छूटः—

1. महामहिम राज्यपाल और उनका स्टाफ तथा माननीय मंत्रियों के वाहन.
2. विधानसभा के माननीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वाहन.
3. कर्तव्य पर यात्रा करने वाले सेना के अधिकारियों के वाहन.
4. मार्च करने वाली सेना के वाहन.
5. सैनिक प्राधिकारियों के आदेशों के अधीन आने वाले वाहन.
6. कर्तव्यस्थ पुलिस अधिकारियों के वाहन ऐसे पुलिस अधिकारी या तो (एक) वर्दी में होंगे या

(दो) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे कर्तव्य पर हैं. या

(तीन) यदि वह पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो तो पट्टेदार द्वारा रखी गई पुस्तक में अपने पद, नाम तथा इस तथ्य की कि वे कर्तव्य पर यात्रा कर रहे हैं. प्रविष्टि करेंगे.

7. जिस संभाग में पुल स्थित हो उस संभाग के कार्यपालन यंत्रि एवं अधीनस्थ अधिकारी का वाहन यदि वह कर्तव्य पर यात्रा कर रहा हो.

8. ग्राम के कर्तव्यवस्था कोटवारों और पुलिस द्वारा चालान किये गये अपराधिक मामलों गवाहों के वाहन.

9. ऐसे किसानों के वाहन जिनके खेत या चारागाह उनके घर के दूसरी ओर पड़ने वाले पुल के छोर से 5 कि.मी. की दूरी के भीतर हो या कृषि कार्य के उपयोग के लिये हो राजस्व की रसीद किताब (भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका) दिखाने पर पथकर से मुक्त होंगे.

10. डाक ले जाने वाले लायसेंस प्राप्त वाहन.
11. म. प्र. विधानसभा के समस्त सदस्य तथा संसद सदस्यों के वाहन.
12. कर्तव्य पर आने वाले राज्य शासन के छोटे यान जैसे कार-जीप ट्रेक्टर एवं एम्बुलेंस.
13. कम्पोस्ट अथवा कूड़ा-खाद ढोने वाली गाड़ियाँ.
14. मान्यताप्राप्त संवाददाता जिनके पास परिचय-पत्र हो उनके वाहन.
15. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहन जिन्हें तत्काल जाने दिया जावेगा.
16. मोटर सायकल, स्कूटर, मोपेड, रिक्शा और ट्रेक्टर-ट्राली (खाली अथवा वाणिज्यिक/कृषि सामग्री के साथ).

16(क)—अतिविशिष्ट व्यक्ति चिन्हों वाले निम्नलिखित यानों को ऐसी फीस के संदाय से छूट दी जायेगी.

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति,

केन्द्रीय मंत्री/राज्य मंत्री लोकसभा,

राज्यसभा, राज्य विधान में विपक्षी नेता जो मंत्रीमण्डल की प्रास्थिति के हों,

राज्यपाल/उपराज्यपाल/केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डलों के अध्यक्ष/सभापति,

भारत के दौरे पर आये विदेशी, उच्च पदस्थ भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के सीडी चिन्हांकित वाहन.

16(ख)—केन्द्रीय शासन के समस्त वाहन.

भाग—2

कार्यपालन यंत्रि से स्थायी पास प्राप्त करने पर छूट:—

17. कर्तव्य पर यात्रा करने वाले शासकीय कर्मचारी के वाहन.
18. जनपद सभा अथवा जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव के वाहन.
19. अपने अधिकार क्षेत्र में कर्तव्य पर यात्रा करने वाले जनपद सभा अथवा जिला परिषद् के सदस्यों तथा इन निकायों के वेतन भोगी कर्मचारियों के वाहन.
20. शाला जाने वाले तथा शाला से लौटने वाले बच्चों के वाहन जो केवल इसी काम में लाये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2015

क्र. एफ-23-12-2004-सामा.-उन्नीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-23-12-2004-सा.-उन्नीस भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 27th February 2015

1. No. F-23-12-2004-G-XIX.—In exercise of the powers, conferred by Section-2 read with Section-4 of the India Toll, Act, 1851 (No. VIII of 1851) in its application in the State of Madhya Pradesh, the State Government is

please to grant sanction for levying toll for construction of Dewas-by-pass road & maintenance of Dewas by-pass road & maintenance of Dewas by-pass road and related roads as per agreement between M/s. Ashoka Infraway Pvt. Ltd. and the Executive Engineer PWD Division Dewas, under BOT Scheme. The entrepreneur M/s. Ashoka Infraway Ltd. River view, Nashik or their authorized agent to levy toll tax for the said road in accordance with the provision contained in the Government's Notification No. F-23-12-2004-G-XIX Bhopal dated 27th January 2000 under second schedule. The second schedule and applicable Toll rates are as below:—

S. No.	Description of Vehicle	Rates of Toll levied w.e.f. 18-02-2015 to 31-03-2015 (in Rs.)	Rates of Toll effective 01-04-2015 to 24-08-2015 (in Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tempo, Taxi, Mini Bus, Loaded or Empty Station Wagon or Matador or equivalent Vehicle.	49.00	61.00
2.	Private Car, Jeep, Pick-up	30.00	38.00
3.	Empty Truck Loaded or empty, Bus	71.00	89.00
4.	Truck Loaded	109.00	136.00
5.	Multy Axle Truck, Trailer	146.00	183.00
6.	Earth Moving Machinery (Per Tone)	14.00	18.00

2. Toll shall be levied only once in 24 hours i.e. from 6 AM till 6 AM of the next day and only at one toll plaza from one vehicle.

3. This notification is Toll plaza on Km 11 of the by-pass road.

4. Maintenance of this road and other roads as specified in the agreement will be made in accordance with the provision of the agreement and the department's letter. No. F-23-12-2004-G-XIX Bhpal dated 22nd May 2004.

5. List showing vehicles granted exemption from payment of toll by the State Government, while crossing the said road will be as per the 3rd schedule annexed with the tender-documents.

6. This notification shall come into force with effect from 20th Feb. 2015.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJEEV SHARMA, Dy. Secy.

THIRD SCHEDULE (FORM 3)

List of vehicles exempt from paying toll fee on state owned toll-able bridges.

Note:—Driver of the vehicle exempt from paying toll fee shall intimate his post and nature of duty being performed during travel. It will be intimated in writing if he is literate.

PART—1

Exempted vehicles without the permanent pass issued by Executive Engineer.

1. Vehicles of Hon'ble Governor and his staff, vehicles of Hon'ble Ministers.
2. Vehicles of Speaker and Dupty Speaker of Legislative Assembly.
3. Vehicles of Army officers on duty.

4. Vehicles in Military March.
5. Vehicles running under orders of Army authorities.
6. Vehicles of Police officers travelling on duty.
 - (a) In uniform or
 - (b) Shall have to produce a certificate from the District Superintendent of police that journey is performed on duty or
 - (c) If certificate is issued by an officer below the rank of District Superintendent of Police then the fact will be entered with name and post in the books of agency on the toll booth the journey is being performed for Government duty.
7. Vehicles of Executive Engineer and subordinate staff of the concerned Division if he is travelling on duty.
8. Vehicles carrying evidences in the criminal cases/challanned by the police or the village kotwar on duty.
9. Vehicles of such farmers whose farms or grazing fields are on other side of bridge within 5 km or on production of Revenue receipt books (Bhu Adhikar Evam Rin Pustika) if the journey is performed for agriculture purpose shall be exempt from paying toll fee.
10. Licensed vehicles used for delivering mail.
11. Vehicles of Members of Legislative Assembly and Members of Parliament.
12. Small vehicles such as Car, Jeep, Tractor, Ambulances of State Government running on duty.
13. Vehicles transporting compost and garbage/waste.
14. Vehicles of Accredited correspondents with valid identity proof.
15. Ambulances and fire brigade shall be allowed to cross the bridge on priority.
16. Motor Cycle, Scooter, Moped, Rickshaw and Tractor Trolley (Empty or laden with commercial or agricultural goods)
 - (a) VVIP marked vehicles shall be exempt from paying such toll fee as follows,
 - President and Vice President of India.
 - Union Minister/Ministers of State.
 - Leader of opposition in the lower or upper house of Parliament or State Legislative Assemblies who are deemed to be equivalent to the status of Ministers.
 - Governors/Lieutenant Governor.
 - Executives/Chairpersons of Central and Legislative Boards.
 - Foreign dignitaries on tour to India.
 - High level foreign delegates deputed in India travelling on CD marked vehicle.
 - (b) All vehicles of Central Government.

PART—2

Fee Exemptions on permanent passes issued by Executive Engineer.

17. Vehicles of Government servant traveling on duty.
18. Vehicles of Chair Person/Vice Chair Person/Secretary of Janpad or Jila Parishad.
19. Vehicle of members of Janpad/Jila Parishad and salaried wages workers of these organization travelling on duty within their jurisdiction.
20. Vehicles engaged solely for transportation of school going children.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJEEV SHARMA, Dy. Secy.